VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060

www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(09 April 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु के राज्यपाल पर हालिया निर्णय, तथा केंद्र-राज्य संबंधों पर इसका प्रभाव
- चीन के शिकारी वैश्विक निर्यात नीति से दुनिया भर में 'आर्थिक सुनामी का खतरा'
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम (PMMY) से विकास का एक दशक
- MCQ

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु के राज्यपाल पर हालिया निर्णय, तथा केंद्र-राज्य संबंधों पर इसका प्रभाव:

चर्चा में क्यों है?

- सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को दिए एक अहम फैसले में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के फैसले को "अवैध और मनमाना" करार दिया। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि राज्यपाल ने संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन किया, खासकर जब ये विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किए गए थे।

- उल्लेखनीय है कि यह निर्णय न केवल तमिलनाडु के संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करता है, बल्कि देशभर के राज्यपालों के लिए स्पष्ट समयसीमा और प्रक्रियाएं तय करता है, जिससे वे राज्य विधानसभाओं से संबंधित मामलों में मनमानी न कर सकें।

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग:

- सर्वोच्च न्यायालय ने एक असाधारण कदम उठाते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा की कि सभी 10 विधेयकों को तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यपाल के समक्ष पुनः प्रस्तुत किए जाने की तिथि से स्वीकृति प्राप्त माना जाएगा। साथ ही न्यायालय ने इन विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा की गई किसी भी बाद की कार्रवाई को भी अमान्य करार दिया।
- न्यायमूर्ति पारदीवाला ने पीठ के लिए लिखते हुए कहा कि राज्यपाल ने "सद्भावना से काम नहीं किया" और इसी तरह के मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय के पिछले फैसलों के प्रति "बहुत कम सम्मान" दिखाया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यपाल की भूमिका लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बाधा डालना नहीं है, बल्कि उन्हें संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बनाना है।

राज्यपाल की कार्रवाई के लिए विशिष्ट समय-सीमा की स्थापना:

- इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू राज्य विधानों पर राज्यपाल की कार्रवाई के लिए विशिष्ट समय-सीमा की स्थापना है।

- उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 200 में स्पष्ट रूप से समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन राज्यपालों को विधेयकों पर कार्रवाई को अनिश्चित काल तक विलंबित करने की अनुमति देना अनिवार्य रूप से "राज्य में कानून बनाने वाली मशीनरी को बाधित करेगा"।
- **इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने तीन स्पष्ट समय-सीमाएँ निर्धारित कीं:**
  - ➢ जब मंत्रिपरिषद की सलाह से, स्वीकृति रोकी जाती है और राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखा जाता है, तो राज्यपालों को एक महीने के भीतर कार्य करना चाहिए।
  - ➢ जब राज्य सरकार की सलाह के विपरीत किसी विधेयक पर स्वीकृति रोकी जाती है या राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखा जाता है, तो राज्यपालों को तीन महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए।
  - ➢ जब राज्य विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के बाद कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपालों को एक महीने के भीतर स्वीकृति देनी चाहिए।
- महत्वपूर्ण रूप से, सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि इन समय-सीमाओं का पालन करने में राज्यपाल की विफलता उनकी निष्क्रियता को न्यायिक समीक्षा के अधीन कर देगी।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

राज्यपाल के पास "पूर्ण वीटो" और "पॉकेट वीटो" की शक्ति नहीं:

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में "पूर्ण वीटो" और "पॉकेट वीटो" की अवधारणाओं को खारिज कर दिया, जिनमें राज्यपाल किसी विधेयक पर अनिश्चितकाल तक बिना निर्णय लिए रोक लगा सकते थे।
- कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई विधेयक विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किया गया है, तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजना आम तौर पर संभव नहीं है — जब तक वह विधेयक मूल से काफी अलग न हो।
- इसके साथ ही, कोर्ट ने दोहराया कि राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत कार्य करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना चाहिए। ***केवल असाधारण परिस्थितियों में, जहां संविधान विशेष रूप से विवेक की अनुमति देता है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध कार्य कर सकता है।***

इस फैसले का केंद्र-राज्य संबंधों के लिए निहितार्थ:

- इस फैसले का केंद्र-राज्य संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, खासकर विपक्ष-शासित राज्यों में।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का प्रमुख संदेश:

- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपालों को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचना चाहिए और उन्हें निर्वाचित सरकार की लोकतांत्रिक इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए।
- राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका को एक "सुलहकर्ता" और "संवैधानिक मार्गदर्शक" के रूप में परिभाषित किया, जो राज्य की मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने में मदद करे, न कि उसे रोकने में।
- इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दोहराया कि राज्यपालों को संविधान के मूल्यों के अनुसार कार्य करना चाहिए, और डॉ. अम्बेडकर के कथन को उद्धृत करते हुए कहा कि अच्छा संविधान भी तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक उसे लागू करने वाले अच्छे न हों।

विधेयकों को स्वीकृति देने में राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका:

- उल्लेखनीय है संविधान का अनुच्छेद 163 सामान्य रूप से राज्यपाल की शक्तियों, जबकि अनुच्छेद 200 विशेष रूप से विधेयकों को स्वीकृति देने के मुद्दे से संबंधित है। इस मुद्दे पर राज्यपाल की शक्ति की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए दोनों प्रावधानों को एक साथ पढ़ा जाता है।

- उल्लेखनीय है कि जब किसी राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल के पास चार विकल्प होते हैं:

  1. विधेयक को स्वीकृति प्रदान करना;

  2. विधेयकों को स्वीकृति रोकना;

  3. विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस करना; या

  4. विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना।

- संविधान के अनुच्छेद 200 में एक प्रावधान (proviso) है, जो कहता है कि राज्यपाल "जितनी जल्दी हो सके" धन विधेयकों के अलावा अन्य विधेयकों को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटा सकते हैं। लेकिन यदि विधानसभा विधेयक को पुनः पारित कर देती है, तो राज्यपाल को अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होती है।

- हालांकि, इस प्रावधान में कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं है, जिससे राज्यपाल विधेयकों को लंबे समय तक रोके रख सकते हैं। विपक्ष शासित राज्यों में यही संवैधानिक अस्पष्टता तनाव का कारण बनती है, क्योंकि राजभवन इस स्थिति का उपयोग विधायी प्रक्रिया में देरी करने के लिए करते हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

चीन के शिकारी वैश्विक निर्यात नीति से दुनिया भर में 'आर्थिक सुनामी' का खतरा:

मामला क्या है?

- चीन तेजी से वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बन रहा है। चीनी कार कंपनी BYD, दुनिया की सबसे बड़ी कार फैक्ट्री, जर्मनी के वोल्फ्सबर्ग में वोक्सवैगन फैक्ट्री से भी बड़ी दो नई कार फैक्ट्रियाँ बना रही है।

- बीते चार वर्षों में चीन के सरकारी बैंकों ने उद्योगों को 1.9 ट्रिलियन डॉलर का अतिरिक्त ऋण दिया है, जिससे देशभर में नई फैक्ट्रियां बन रही हैं और पुरानी फैक्ट्रियों को रोबोट और ऑटोमेशन से आधुनिक बनाया जा रहा है। इस तेज़ निवेश और उत्पादन ने चीन के निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी की है, जो अब अमेरिका समेत पूरी दुनिया में स्थानीय फैक्ट्रियों के बंद होने और नौकरियों के नुकसान का खतरा पैदा कर रहा है।

- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति जो बिडेन के समय अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रही कैथरीन ताई ने इसे "आर्थिक सुनामी" करार दिया जो "सबके लिए आ रही है"।
- राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 2 अप्रैल को घोषित किए गए भारी टैरिफ, चीन के द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अब तक की सबसे कठोर प्रतिक्रिया है। हालांकि दुनिया भर के कई देशों ने इस चुनौती से निपटने के लिए, पहले से ही चुपचाप कदम उठाए हैं।

चीन की औद्योगिक आक्रामकता: वैश्विक व्यापार पर मंडराता संकट

- उल्लेखनीय है कि चीन की सरकार राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ और वैश्विक व्यापार बाधाओं के बढ़ते चलन से नाराज़ हैं, और वे अपने देश की उच्च बचत दर, लंबे कार्य घंटे, और प्रचुर कुशल श्रमिकों (जैसे इंजीनियर, तकनीशियन) पर गर्व करते हैं।
- ध्यातव्य है कि चीन में रियल एस्टेट में गिरावट के बाद, चीन की सरकार ने बैंकों को उद्योग जगत में निवेश बढ़ाने का निर्देश दिया, जिससे नई फैक्ट्रियां बन रही हैं और फैक्टरी रोबोट का उपयोग बहुत बढ़ गया है।
- इसके कारण चीन में उसकी घरेलू खपत से कई गुना उत्पादन बढ़ा है और शिकारी कीमत पर निर्यात के कारन की चीन का निर्यात भी तेज़ी से बढ़ा है। चीन ने

वैश्विक विनिर्माण में अपनी हिस्सेदारी 2000 में 6% से बढ़ाकर अब 32% कर ली है, जो अमेरिका, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन के संयुक्त उत्पादन से भी अधिक है।

- चीन के निर्यात में 2023 में 13.3% और फिर 2024 में 17.3% की वृद्धि हुई। साथ ही, सरकारी बैंकों के ऋण से अनुसंधान और विकास (R&D) को भी बल मिला है।
- ऐसे में दुनिया भर की सरकारें अब यह तय करने में संघर्ष कर रही हैं कि चीन के सस्ते सामानों से अपने अपने औद्योगिक क्षेत्रों को बचाने के लिए टैरिफ बढ़ाएं या नहीं, क्योंकि चीन की आर्थिक आक्रामकता वैश्विक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने की हद तक चुनौती दे रही है।

चीन की मुख्य समस्या इसके घरेलू खपत की चुनौती है:

- रॉबर्ट ई. लाइटहाइजर, जो राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि थे, ने कहा कि नवीनतम अमेरिकी टैरिफ "लंबे समय से लंबित दवा है" - वास्तविक मूल कारण दशकों की चीनी औद्योगिक नीति है जिसने अत्यधिक क्षमता और वैश्विक असंतुलन पैदा किया है।

- उल्लेखनीय है कि चीन इतना निर्यात इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अपने लोग बहुत कम खरीद रहे हैं। 2021 से हाउसिंग मार्केट में गिरावट ने मध्यम वर्ग की बहुत सारी बचत को खत्म कर दिया है और कई अमीर परिवारों को बर्बाद कर दिया है। इसके कारण सरकार के कर राजस्व में गिरावट आ रही है, लेकिन सैन्य खर्च तेजी से बढ़ रहा है।
- चीनी सरकार ने अपने रियल एस्टेट संकट की भरपाई, अपने निर्यात अभियान से की है, जिससे कारखानों के निर्माण, साज-सज्जा और संचालन के लिए लाखों नौकरियां पैदा हुई हैं।

चीन अपने आर्थिक समस्या का गलत इलाज कर रही है:

- हाल ही में कुछ चीनी अर्थशास्त्रियों ने पश्चिमी अर्थशास्त्रियों के साथ मिलकर सुझाव दिया है कि चीन को को अपने अल्प सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करने की और घरेलू खपत को बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि इस वर्ष की शुरुआत में, वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम सरकारी पेंशन केवल 17 डॉलर प्रति माह थी। इससे ग्रामीण चीन में भी मुश्किल से किराने का सामान खरीदा जा सकता है।
- चीन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, प्रोफेसर ली दाओकुई ने जनवरी में सार्वजनिक रूप से न्यूनतम मासिक पेंशन को कई गुना बढ़ाकर 110 डॉलर करने की मांग की थी।

उन्होंने तर्क दिया कि चीनी सरकार इसे वहन कर सकती है, और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अतिरिक्त खर्च से पूरी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा।

- हालांकि चीनी अधिकारियों ने उनकी सलाह को अस्वीकार कर दिया और 5 मार्च को बजट आया, तो इसमें मासिक पेंशन में केवल 3 डॉलर की वृद्धि की गई थी, जबकि निर्यातकों की मदद करने वाले बंदरगाहों और अन्य बुनियादी ढाँचे सहित निवेश के लिए 100 अरब डॉलर शामिल थे। और 20 चीनी शहरों में विनिर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को उन्नत करने के लिए एक नया कार्यक्रम भी था।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम (PMMY) से विकास का एक दशक:

परिचय:

- 8 अप्रैल, 2025 को भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के 10 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य वित्तपोषण से वंचित सूक्ष्म उद्यमों और छोटे व्यवसायों को वित्तपोषित करना है। कोलेटरल के बोझ को हटाकर और पहुंच को सरल बनाकर, मुद्रा योजना ने जमीनी स्तर पर उद्यमिता के एक नए युग की नींव रखी।

- PMMY ने गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संस्थागत ऋण प्रदान करके इन यात्राओं का समर्थन किया है जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मुख्य विशेषताएं:

- सूक्ष्म उद्यम इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्त पोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त पोषण एजेंसी (मुद्रा) के अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की स्थापना की गई थी।

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्त की आवश्यकता और संबंधित व्यवसाय की परिपक्वता स्थिति के आधार पर ऋणों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित हैं:-

  ➢ **'शिशु:** (50,000 रुपये तक के ऋण),

  ➢ **'किशोर':** (50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण), और

  ➢ **'तरुण':** (5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक के ऋण)।

  ➢ **तरुण प्लस:** (10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक के ऋण)।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उपलब्धियां:

- अप्रैल 2015 में अपनी शुरुआत के बाद से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ने 32.61 लाख करोड़ रुपये के 52 करोड़ से ज्यादा लोन स्वीकृत किए हैं। इससे देश भर में उद्यमिता की क्रांति को बढ़ावा मिला है। व्यापार वृद्धि अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गई है।

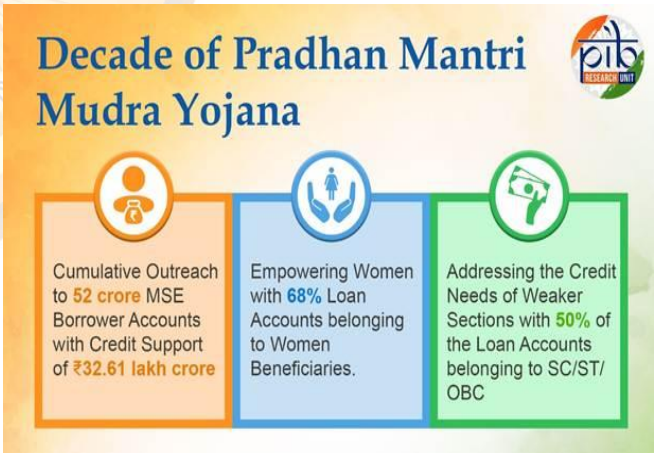

- यह छोटे शहरों और गांवों तक फैल रही है, जहां पहली बार उद्यमी अपनी नियति को साकार कर रहे हैं। इसमें लोगों की मानसिकता में बदलाव स्पष्ट है: लोग अब रोजगार चाहने वाले नहीं रह गए हैं, बल्कि वे रोजगार देने वाले बन रहे हैं।

MSME के लिए ऋण बूम:

- एसबीआई की रिपोर्ट में मुद्रा योजना के प्रभाव से MSME को ऋण प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। ऋण वित्त वर्ष 2014 में MSME के लिए 8.51 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 27.25 लाख करोड़ रुपये हो गया, और वित्त वर्ष 2025 में 30 लाख करोड़ रुपये को पार करने का अनुमान है।
- बैंक के कुल ऋण में MSME ऋण की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2014 में 15.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में लगभग 20 प्रतिशत हो गई, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। इस विस्तार ने छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायों को वित्तीय सहायता तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। जो पहले उपलब्ध नहीं थी, जिससे भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और जमीनी स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का वित्तीय समावेशन पर प्रभाव:

- मुद्रा योजना के कुल लाभार्थियों में 68 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो देश भर में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को आगे बढ़ाने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2025 के बीच, प्रति महिला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वितरण राशि वर्ष दर वर्ष 13

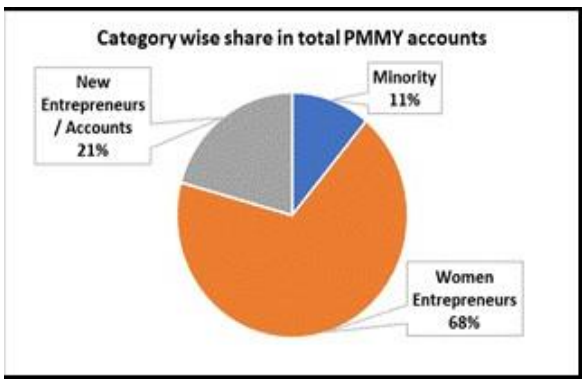

प्रतिशत से बढ़कर 62,679 रुपये तक पहुंच गई, जबकि प्रति महिला वृद्धिशील जमा राशि वर्ष दर वर्ष 14 प्रतिशत बढ़कर 95,269 रुपये हो गई।

- PMMY ने पारंपरिक ऋण बाधाओं को तोड़ने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 50 प्रतिशत मुद्रा खाते अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों के पास हैं, जिससे औपचारिक वित्त तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, मुद्रा ऋण धारकों में से 11 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों से हैं, जो हाशिए पर पड़े समुदायों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदार बनने में सक्षम बनाकर समावेशी विकास में योजना के योगदान को दर्शाता है।

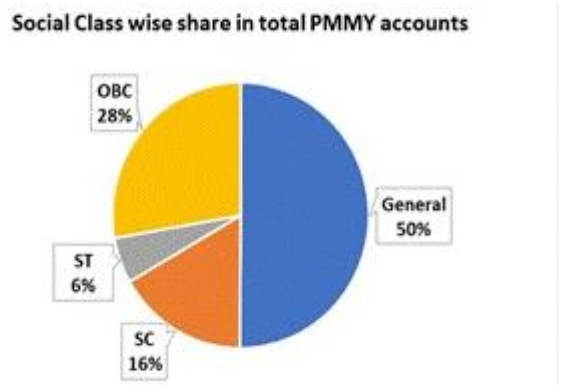

पीएम मुद्रा योजना के ऋण वितरण में अग्रणी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश:

- 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शुभारंभ के बाद से 28 फरवरी, 2025 तक, तमिलनाडु ने 3,23,647.76 करोड़ रुपये के साथ राज्यों में सबसे अधिक वितरण दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में भी क्रमशः चौथे, पांचवें और छठे स्थान है।

- केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर सबसे आगे है, जहां 21,33,342 ऋण खातों में 45,815.92 करोड़ रुपये का कुल वितरण किया गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान:

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की सराहना करते हुए इसे भारत में वित्तीय समावेशन और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाला बताया है।
  - ➢ 2017 में IMF ने कहा कि यह योजना महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को वित्तीय सहायता देने में सहायक रही है।
  - ➢ 2019 में बताया कि यह योजना सूक्ष्म उद्यमों को विकसित करने और उन्हें ऋण देने वाले वित्तीय संस्थानों का समर्थन करती है।
  - ➢ 2023 तक, कोलेटरल-फ्री ऋण और महिला-केंद्रित दृष्टिकोण के कारण, महिला स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या 2.8 मिलियन से अधिक हो गई।
  - ➢ 2024 की रिपोर्ट में IMF ने दोहराया कि PMMY जैसे कार्यक्रम भारत में स्वरोजगार और औपचारिकता को बढ़ावा देने में नीतिगत रूप से सहायक हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQ

Q.1. चर्चा में रहे 'राज्य विधेयकों को स्वीकृति देने में राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. संविधान का अनुच्छेद 200 से विधेयकों को स्वीकृति देने के मुद्दे से संबंधित है।
2. संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्यपाल धन विधेयकों सहित अन्य विधेयकों को 6 सप्ताह के भीतर पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटा सकते हैं।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans. (a)

Q.2. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद के तहत अपने असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के फैसले को "अवैध और मनमाना" करार देते हुए सभी 10 विधेयकों को राज्यपाल के समक्ष पुनः प्रस्तुत किए जाने की तिथि से स्वीकृति प्राप्त माना है?

(a) अनुच्छेद 214

(b) अनुच्छेद 200

(c) अनुच्छेद 163

(d) अनुच्छेद 142

Ans. (d)

Q.3. चर्चा में रहे 'वैश्विक विनिर्माण में चीन की हिस्सेदारी' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. चीन ने वैश्विक विनिर्माण में अपनी हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 6% से बढ़ाकर अब 32% कर ली है।

2. चीन के शिकारी कीमत पर वस्तुओं के निर्यात के कारण दुनिया भर में देशों के समक्ष उनके विनिर्माण क्षेत्र और रोजगार के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (c)

Q.4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का देश के वित्तीय समावेशन पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) मुद्रा योजना के कुल लाभार्थियों में एक तिहाई महिलाएं हैं।

(b) 50 प्रतिशत मुद्रा खाते SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों के पास हैं।

(c) मुद्रा ऋण धारकों में से 22 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक समुदायों से हैं।

(d) उपर्युक्त सभी सही कथन हैं।

Ans. (b)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

Q.5. हाल में चर्चा में रहे 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिये:

1. अपनी शुरुआत के बाद से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 32.61 लाख करोड़ रुपये के 52 करोड़ से ज्यादा लोन स्वीकृत किए हैं।
2. इस योजना द्वारा देश के नवोदित उद्यमियों को आसानी से ऋण की उपलब्धता से नवाचार और प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (c)